# अध्याय - 1
# सिफारिशों का सारांश

## केन्द्र और राज्यों के वित्त साधन

1. वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय लेखाएं, संगत शीर्षों के अनुसार, उपकरों और अधिभारों के अन्तर्गत संग्रहणों को पूर्णतः प्रदर्शित करे ताकि किसी वर्ष राज्यों को जारी की गयी राशियों के मध्य और उस सम्बद्ध वर्ष के लिए वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निवल केन्द्रीय करों में सम्बद्ध प्रतिशत भागीदारी में कोई असंगतियां न हों।

(पैरा 4.33)

2. राज्यों को समयबद्ध तरीके से विद्युत क्षेत्र में होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.38)

3. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाने और फार्मूला आधारित आयोजना अन्तरणों की प्रधानता बहाल करने के प्रयास किए जाएं।

(पैरा 4.56)

4. 2008-09 और 2009-10 के बढ़ते राजकोषीय घाटे से बाहर निकलने की एक सुविचारित नीति केन्द्र की मुख्य कार्यसूची हो।

(पैरा 4.62)

## वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

5. केन्द्र और राज्यों दोनों जीएसटी मॉडल को कार्यान्वित करने हेतु एक "बड़ा समझौता" निष्पादित करे। इस बड़े समझौते में छह कारक मौजूद हों :

   (i) जीएसटी-मॉडल का डिजाइन पैरा 5.25 से 5.35 में सुझाया गया है।

   (ii) इसको संचालित करने के तौर-तरीकों को पैरा 5.36 से 5.41 में रेखांकित किया गया है।

   (iii) केन्द्र और राज्यों के मध्य प्रस्तावित समझौता परिवर्तनों हेतु आकस्मिकताओं के साथ पैरा 5.49 से 5.51 में उपलब्ध है।

   (iv) अनुपालना न करने की स्थिति में हतोत्साहनों को पैरा 5.52 में वर्णित किया गया है।

   (v) कार्यान्वयन अनुसूची पैरा 5.57 से 5.59 में वर्णित है।

   (vi) क्षतिपूर्ति दावा करने की प्रक्रिया पैरा 5.60 में दी गयी है।

(पैरा 5.48)

6. किसी भी अपनाए जाने वाले जीएसटी मॉडल में बड़े समझौते में निहित सभी कारक हों। इस बड़े समझौते के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने हेतु यह आयोग 50,000 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश करता है। इस अनुदान का उपयोग बड़े समझौते के अनुरूप 2010-11 और 2014-15 के मध्य जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति दावों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। इस पूल में अव्ययित शोध राशियों को अंतरण फार्मूले के अनुसार सभी राज्यों में 1 जनवरी, 2015 को वितरित किया जाएगा।

(पैरा 5.54 और 5.55)

7. राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (ईसी) को सांविधिक परिषद् में परिवर्तित किया जाए। सचिव, राजस्व विभाग, भारत सरकार; ईसी सचिव तथा लोक वित्त में अनुभव प्राप्त किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बनी तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर यह क्षतिपूर्ति तिमाही किस्तों में संवितरित की जाए।

(पैरा 5.60)

8. यदि किसी स्थिति में, जब बड़े समझौते के सभी कारकों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हो पाती और अन्तिम रूप से अपनाया गया जीएसटी तंत्र हमारे द्वारा सुझाए गए जीएसटी मॉडल से भिन्न हो, तो यह आयोग सिफारिश करता है कि 50,000 करोड़ रुपए की यह राशि संवितरित नहीं की जाएगी।

(पैरा 5.62)

9. राज्यों को माल वाहनों के परिवहन समय को घटाने के उपाय करने चाहिए जो पड़ोसी राज्यों की मिली पुलिस चौकियों द्वारा उनकी सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं और राज्य परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी प्रवेश पक्ष जैसे प्रयोक्ता अनुकूल विकल्पों को अपनाए।

(पैरा 5.47)

## केन्द्र सरकार के वित्त साधन

10. विनिवेश आवश्यकताओं से प्राप्तियों के उपयोग के सम्बन्ध में नीति को उदार बनाने की आवश्यकता है जिसमें महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र और पर्यावरण पर पूंजी व्यय को भी शामिल किया जाए।

(पैरा 6.46)

11. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जोत रिकार्डों को अच्छी तरह रखने की आवश्यकता है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो कि इस दुर्लभ संसाधन को उत्पादक उपयोग हेतु रखा जाए, अथवा अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराया जाए, अथवा अन्यथा विक्रय किया जाए।

(पैरा 6.48)

## राज्य के वित्त साधन

12. विशेष श्रेणी वाले राज्यों की आयोजना-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयोजना सहायता को दूसरी दिशा में मोड़ने की प्रथा समाप्त की जाए।

(पैरा 7.79)

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सन्दर्भ में :

(i) सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लेखों की निकासी हो।

(पैरा 7.95)

(ii) राज्य पीएसयू लेखों के बकाया निपटान हेतु नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी लोचशीलता का उपयोग करें।

(पैरा 7.95)

(iii) सभी राज्यों को मार्च, 2011 तक सभी रूग्ण पीएसयू को बन्द करने का खाका तैयार करने की आवश्यकता है। पीएसयू के विनिवेश तथा निजीकरण पर विचार किया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

(पैरा 7.95 तथा 7.97)

(iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपने सांविधिक दायित्वों के साथ राज्य तथा केन्द्र के पीएसयू की निकटता से मॉनीटरिंग तथा अनुपालन करें।

(पैरा 7.95)

(v) विनिवेश/निजीकरण तथा प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने हेतु कार्यबल का गठन किया जाए। पुनर्संरचना सम्बन्धी स्थायी समिति के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया जाए ताकि कार्यबल की सिफारिशों को लागू किया जाए। एक स्वतंत्र तकनीकी सचिवालय की भी स्थापना की जाए जो राज्यों के वित्त विभागों को पुनर्संरचना/विनिवेश प्रस्तावों पर सलाह दे।

(पैरा 7.98)

14. विद्युत क्षेत्र के सम्बन्ध में :

(i) प्रेषण और वितरण नुकसान में कमी लाने के प्रयास मीटरिंग, फीडर सेपरेशन, हाईवोल्टेज वितरण प्रणालियों की शुरूआत, वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग तथा चोरी रोकने हेतु कठोर उपायों के जरिए किए जाएं। कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए वितरण फ्रेंचाइजिंग तथा विद्युत सेवा कम्पनी (ईएससीओ) आधारित संरचनांओं पर विचार किया जाए।

(पैरा 7.114)

(ii) अव्यक्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए और प्रेषण तक मुक्त पहुंच को सुदृढ़ किया जाए। राज्य लोड प्रेषण केन्द्रों के जरिए अभिशासन में सुधार लाया जाए और इस कार्य को अन्ततः स्वायत्त बनाया जाए।

(पैरा 7.116)

(iii) पन परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी से बचने के लिए उपयुक्त प्रणालियों को सामने लाया जाए।

(पैरा 7.117)

(iv) तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले के स्रोतों से सुदूर स्थानों में स्थापित करने के बजाय, राज्य कोयला समृद्ध राज्यों में अथवा उसके निकट संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के बारे में विचार करें।

(पैरा 7.119)

(v) केस 1 बोली प्रक्रिया को चरम मांग अवधियों के दौरान उच्च लागत खरीदों की अनिश्चतता से बचने हेतु उपयोग में लाया जाए।

(vi) विनियामक संस्थाओं को क्षमता निर्माण, उपभोक्ता शिक्षा ओर मल्टी ईयर टैरिफ (एमवाईटी) जैसे टैरिफ सुधारों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए। कारपोरेट अभिशासन की सर्वोच्च प्रक्रियाओं को विद्युत क्षेत्र में लागू किया जाए।

(पैरा 7.121)

15. नई पेंशन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने को यथासम्भव पूरा किया जाए।

(पैरा 7.122)

16. बड़ी मात्रा में नकदी शेष वाले राज्यों को नए सिरे से उधार लेने से पहले इनके उपयोग करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

(पैरा 7.127)

17. लेखांकन सुधारों के सम्बन्ध में :

(i) भारत सरकार को सभी राज्यों में बजटीय वर्गीकरण कोड में एक-साम्यता बनाए रखने में सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यों के वित्त लेखों से सम्बन्ध परिशिष्टों की सूची को मानकीकृत बनाए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 7.129 और 7.134)

(ii) लोक लेखे तथा समेकित निधि के मध्य दुतरफा प्रविष्टियों तथा लेन-देनों का सारांश का विवरण राज्यों के वित्त लेखों में पृथक अनुबंध के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

(पैरा 7.131)

(iii) राज्यों के समेकित निधि से बाहर निधियों के सृजन के जरिए सार्वजनिक व्यय को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी निधियों तथा सिविल जमा राशियों के जरिए व्यय को सी एंड एजी के लेखा परीक्षा के क्षेत्राधिकार में लाया जाए।

(पैरा 7.132 और 7.133)

(iv) निम्नलिखित विवरणों को राज्यों के वित्त लेखों के साथ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है :

(क) सभी सब्सिडियों के सम्बन्ध में व्यापक आंकड़ें।

(पैरा 7.135)

(ख) प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या से सम्बद्ध समेकित सूचना जिसमें वेतन पर वचनबद्धता भी शामिल हो। इस विवरण में कर्मचारियों सम्बन्धी सूचना और उनका वेतन भी शामिल हो जहां ऐसा व्यय अनुदानों के रूप में दिखाया गया हो अथवा अन्य व्यय के तहत दर्ज हो।

(पैरा 7.136 और 7.137)

(ग) अनुरक्षण व्यय का विवरण।

(पैरा 7.138)

## केन्द्र के कर राजस्वों की भागीदारी

18. भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 2010-11 से 2014-15 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 32 प्रतिशत होगा। उत्पाद (विशेष महत्व की वस्तुओं) के अतिरिक्त शुल्क अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत, सभी वस्तुओं को 1 मार्च, 2006 से शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। इसके परिणामस्वरुप, केन्द्र ने चीनी तथा तम्बाकू-उत्पादों पर उत्पाद के आधारिक शुल्कों को समायोजित किया था। इन गतिविधियों के प्रकाश में, राज्यों का भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में हिस्सा 32 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहेगा, भले ही राज्य इन वस्तुओं पर बिक्री कर (अथवा मूल्यवर्धित कर (वैट)) लगाते हों।

(पैरा 8.17 और 8.18)

19. संविधान के 88वें संशोधन की अधिसूचना की स्थिति में और ऐसी अधिसूचना के फलस्वरूप किसी विधान के अधिनियमन पर, इस बात का सुनिश्चय किया जाए कि इस विधान के तहत राज्य को उपचित राजस्व उस भाग से कम नहीं होना चाहिए जो इस राज्य को उपचित हो, भले ही सम्पूर्ण सेवा कर केन्द्रीय करों के भागीदारी योग्य पूल का भाग रहा हो।

(पैरा 8.19)

20. केन्द्र सरकार उपकरों/और अधिभारों को लगाने की समीक्षा करे ताकि उनकी हिस्सेदारी अपने सकल कर राजस्व में घटे।

(पैरा 8.20)

21. राज्यों को राजस्व लेखे में समग्र अन्तरणों से सम्बद्ध निर्देशात्मक उच्चतम सीमा को केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों के 39.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए।

(पैरा 8.21)

22. वर्ष 2010-11 से 2014.15 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समस्त भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा सारणी 1.1 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(पैरा 8.38 तथा 8.39)

## राजकोषीय समेकन हेतु संशोधित रूपरेखा

23. केन्द्र के राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर रूप में घटाए जाने और समाप्त किए जाने की आवश्यकता है जिससे आगे चलकर 2014-15 तक राजस्व अधिशेष की स्थिति उभरकर सामने आए।

(पैरा 9.18 तथा 9.31)

24. केन्द्र और राज्यों के संयुक्त ऋण के सम्बन्ध में जीडीपी का 68 प्रतिशत लक्ष्य 2014-15 तक प्राप्त किया जाए। राजकोषीय समेकन के मार्ग में केन्द्र के वर्धित ऋण स्टॉक में 2014-15 तक जीडीपी के 45 प्रतिशत तक और राज्यों के सम्बन्ध में 2014-15 तक जीडीपी में 25 प्रतिशत तक सतत् कमी लाना है।

(पैरा 9.29 तथा 9.69, सारणी 9.7)

**सारणी 1.1 : राज्यों की पारम्परिक हिस्सेदारी**

| राज्य | सेवा कर को छोड़कर समस्त भागीदारी योग्य करों का हिस्सा (प्रतिशत) | सेवा कर का हिस्सा (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 6.937 | 7.047 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0.328 | 0.332 |
| असम | 3.628 | 3.685 |
| बिहार | 10.917 | 11.089 |
| छत्तीसगढ़ | 2.470 | 2.509 |
| गोवा | 0.266 | 0.270 |
| गुजरात | 3.041 | 3.089 |
| हरियाणा | 1.048 | 1.064 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.781 | 0.793 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.551 | शून्य |
| झारखण्ड | 2.802 | 2.846 |
| कर्नाटक | 4.328 | 4.397 |
| केरला | 2.341 | 2.378 |
| मध्य प्रदेश | 7.120 | 7.232 |
| महाराष्ट्र | 5.199 | 5.281 |
| मणिपुर | 0.451 | 0.458 |
| मेघालय | 0.408 | 0.415 |
| मिजोरम | 0.269 | 0.273 |
| नागालैंड | 0.314 | 0.318 |
| उड़ीसा | 4.779 | 4.855 |
| पंजाब | 1.389 | 1.411 |
| राजस्थान | 5.853 | 5.945 |
| सिक्किम | 0.239 | 0.243 |
| तमिल नाडु | 4.969 | 5.047 |
| त्रिपुरा | 0.511 | 0.519 |
| उत्तर प्रदेश | 19.677 | 19.987 |
| उत्तराखंड | 1.120 | 1.138 |
| पश्चिम बंगाल | 7.264 | 7.379 |
| **सभी राज्य** | **100.000** | **100.00** |

(पैरा 9.29 तथा 9.69, सारणी 9.7)

25. मध्यावधि राजकोषीय कार्ययोजना (एमटीएफपी) को संशोधित किया जाए और आशय विवरण की अपेक्षा वचनबद्ध विवरण तैयार किया जाए। एमटीएफपी और वार्षिक बजट प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराए गए बहुवर्षीय फ्रेमवर्क के मध्य ठोस एकीकरण की अपेक्षा है।

(पैरा 9.38)

26. निम्नलिखित प्रकटन वार्षिक केन्द्रीय बजट/एमटी-एफपी के साथ किया जाए:

(i) आयोजना-भिन्न तथा आयोजना अनुदानों की समग्र श्रेणी के अन्तर्गत राज्यों को अनुदानों का विस्तृत ब्यौरा।

(पैरा 9.41)

(ii) कर व्यय के विवरण को सुव्यवस्थित रखा जाए और तौर तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।

(पैरा 9.42)

(iii) प्रमुख कर प्रस्तावों की अनुपालन लागत को सूचित की जाए।

(पैरा 9.43)

(iv) पूंजी व्यय के राजस्व परिणामों का एमटीएफपी में अनुमान लगाया जाए।

(पैरा 9.45)

(v) एमटीएफपी में मुख्यनीति परिवर्तनों के राजकोषीय परिणाम को शामिल किया जाए।

(पैरा 9.46)

(vi) एमटीएफपी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी देयताओं को सूचित किया जाए।

(पैरा 9.48 तथा 9.49)

(vii) एमटीएफपी मानदंड मूल्यों को सुनिश्चित करे जिसमें प्राप्तियों और व्यय के अनुमान निहित हों और लक्ष्यों के अनुरूप रहते हुए जिस सीमा के अन्तर्गत वे भिन्न हो सकते हैं।

(पैरा 9.61)

27. लोक लेखे में विनिवेश प्राप्तियों के अंतरण को समाप्त किया जाए और सभी विनिवेश प्राप्तियों को समेकित निधि में बनाए रखा जाए।

(पैरा 9.52)

28. भारत सरकार ऐसे समस्त सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची तैयार करे जिनमें परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल की निम्न दर प्राप्ति होती है तथा जो विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम है।

(पैरा 9.52)

29. एफआबीएम अधिनियम को उन आघातों के स्वरूप को विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें एफआरबीएम लक्ष्यों में छूट देना अपेक्षित है।

(पैरा 9.62)

30. स्थूल आर्थिक आघातों के मामले में, राज्यों की उधार सीमाओं में छूट देने तथा उन्हें अधिक उधार की अनुमति देने के बजाय केन्द्र राज्यों के मध्य पारस्परिक वितरण हेतु वित्त आयोग कर अन्तरण फार्मूले का उपयोग करते हुए उधार दे और संसाधनों का अन्तरण करे।

(पैरा 9.63)

31. वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बकाया राशि जैसे संरचनात्मक आघातों से बचा जाए, बकाया राशि के मामले में, वेतन का भुगतान उसी तिथि से किया जाए जिस तारीख से वह स्वीकृत है।

(पैरा 9.64)

32. केन्द्र द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र की स्थापना की जाए इसके राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का मूल्यांकन करे। स्वतंत्र समीक्षा तंत्र में राजकोषीय परिषद को शामिल किया जाए। जिस के पीछे विधायी शक्ति हो।

(पैरा 9.65 और 9.66)

33. 2008-09 और 2009-10 के अपवादात्मक परिस्थितियों को देखते हुए, राज्यों की राजकोषीय समेकन प्रक्रिया बाधित हुई। आशा है कि राज्य 2011-12 तक अपने राजकोषीय सुधार के मार्ग पर वापस आने में समर्थ होंगे जिसमें 2010-11 में उन्हें एक वर्ष हेतु समायोजन की अनुमति दी जाएगी।

(i) ऐसे राज्य जिन्होनें 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा किया है अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है, उन्हें 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त कर लेना चाहिए तथा राजस्व शेष बनाए रखना चाहिए अथवा उसके बाद वे अधिशेष प्राप्त करेंगे। अन्य राज्यों को 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना चाहिए।

(पैरा 9.69 से 9.72)

(ii) सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होनें 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है, उन्हें 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा प्राप्त करना चाहिए तथा ऐसे घाटे को उसके बाद बनाया रखना चाहिए। अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों को 2013-14 तक 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(पैरा 9.74 से 9.76 तथा सारणी 9.5)

(iii) 2007-08 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे के आधार वाले सभी विशेष श्रेणी के राज्य 2011-12 में 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा कर सकते हैं तथा उसके बाद इसे बनाए रख सकते हैं। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखण्ड 2013-14 तक अपने जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा कम करेगें।

(पैरा 9.79 औरे 9.81)

(iv) जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम को 2014-15 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करना चाहिए।

(पैरा 9.80)

34. राज्यों को राजकोषीय सुधार का रास्ता अपनाने के लिए एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन/अधिनियमन करना चाहिए। किसी राज्य के लिए संयुक्त राज्य विशिष्ट अनुदान अनुपालन हेतु जारी करना चाहिए।

(पैरा 9.82)

35. एफआरबीएम अधिनियमों के अन्तर्गत स्वतंत्र समीक्षा/मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना राज्यों द्वारा करनी चाहिए।

(पैरा 9.84)

36. वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय सुधार मार्ग का उपयोग करते हुए राज्यों के लिए उधार सीमाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार हेतु प्रवर्त्तन तंत्र के बतौर कार्य करना चाहिए।

(पैरा 9.85)

37. 2006-07 तक संविदा किए गए राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों को दिए गए ऋण और 2009-10 के

अन्त में बकाया राशि को निर्धारित शर्तों के अधीन ब्याज की 9 प्रतिशत की दर पर पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(पैरा 9.106)

38. राष्ट्रीय लघु बचत योजना को बाजार सम्बद्ध योजना में रूपांतरित किया जाएगा। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने स्तर पर संगत सुधार करें।

(पैरा 9.111 और 9.112)

39. 2009-10 के अन्त में बकाया भारत सरकार से राज्यों को प्रदत्त और वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित को निर्धारित शर्तों के अधीन बट्टे-खाते डाला जाएगा।

(पैरा 9.114)

40. राजकोषीय दृष्टि से कमजोर राज्यों के लिए जो बाजार से ऋण जुटाने में अक्षम हैं, केन्द्र सरकार से उधार हेतु विंडो की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(पैरा 9.114)

41. ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के अन्तर्गत समेकन लाभ प्राप्त न किए राज्यों के सम्बन्ध में, यह सुविधा, समेकन तथा ब्याज दर कटौती तक सीमित रहते हुए एफआरबीएम अधिनियम के अधिनियमन के अधीन विस्तारित की जानी चाहिए।

(पैरा 9.115)

42. एनएसएसएफ दर ब्याज राहत का लाभ और बट्टे खाते को राज्यों को तभी उपलब्ध कराया जाए जब वे एफआरबीएम के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन/अधिनियमन की व्यवस्था करें।

(पैरा 9.116)

## स्थानीय निकाय

43. संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) और (ग) में संशोधन इस प्रकार किया जाए कि इसमें प्रयुक्त शब्दों राज्यों वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर "राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद" से परिवर्तित किया जाए।

(पैरा 10.130)

44. संविधान के अनुच्छेद 243(1) में संशोधन "प्रत्येक पांचवें वर्ष" शब्दों के बाद "अथवा पहले" वाक्यांश को शामिल कर लिया जाए।

(पैरा 10.125)

45. स्थानीय निकाय. अनुदानों की प्रमात्रा सारणी 10.4 के अनुसार उपलब्ध करायी जाए, सामान्य आधारिक अनुदान तथा विशेष क्षेत्र आधारिक अनुदान यथानिर्दिष्ट राज्यों में आबंटित किया जाए। इन अनुदान के सम्बन्ध में राज्यवार पात्रता अनुबंध 10.15 क और 10.15 ग में दिखायी गयी है।

(पैरा 10.159)

46. राज्य सरकारें सामान्य निष्पादन अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन हेतु तभी पात्र होंगी जब वे निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हैं। इन अनुदानों को विनिर्दिष्ट तरीके से संवितरित किया जाएगा। इन अनुदानों के सम्बन्ध में राज्यवार पात्रता अनुबंध 10.15ख और 10.15घ में दी गयी है।

(पैरा 10.161 से 10.164)

47. राज्यों को सामान्य आधारिक अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान के अपने हिस्से के भाग का आबंटन विशेष क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में करना चाहिए। यह आबंटन हमारे द्वारा संस्तुत विशेष क्षेत्र आधार के अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के अतिरिक्त होगा।

(पैरा 10.170)

48. राज्य सरकारों को उपयुक्त तरीके से अपने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभागों को क्षमता निर्माण तथा कार्मिकों में बढ़ोतरी के जरिए सुदृढ़ करना चाहिए।

(पैरा 10.167)

49. राज्य सरकारों को कुछ अथवा सभी स्थानीय करों के अधिदेश को लेवी के शून्येतर दरों पर बाध्यकारी रूप में, स्थानीय निकायों के अन्तरण पात्रता से स्व राजस्व संग्रहण में कटौती द्वारा, अथवा समतुल्य अनुदानों की प्रणाली के जरिए स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(पैरा 10.173)

50. लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु, वित्त लेखे में एक पृथक विवरण शामिल होना चाहिए जिसमें पंचायत राज्य संस्थाओं (पीआरआई) तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) दोनों के सम्बन्ध में बजट में यथा उपयोग किए उन्हीं शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय का शीर्षवार ब्यौरा उल्लिखित हो। हम सिफारिश करते हैं कि इन परिवर्तनों को 31 मार्च, 2012 से प्रभावी बनाया जाए।

(पैरा 10.177)

51. भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कार्यकारी अनुदेश जारी करें ताकि उनके सम्बद्ध विभाग स्थानीय निकायों को उपयुक्त सेवा प्रभार को भुगतान कर सकें।

(पैरा 10.178)

52. राज्य सरकारों की रायल्टियों से प्राप्त वर्धित आय को देखते हुए, उन्हें इस आय के हिस्से की भागीदारी उन स्थानीय निकायों के साथ करनी चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसी आय सृजित होती है।

(पैरा 10.179)

53. राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की सिफारिशों अविलम्ब कार्यान्वित की जाए तथा की गयी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को तुरंत विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(पैरा 10.129)

54. एसएफसी अनुबंध 10.5 में सुझायी गयी उस प्रणाली पर विचार करे जो उनकी रिपोर्टों का आधार हो।

(पैरा 10.127)

55. एसएफसी सदृश निकाय राज्यों में स्थापित की जाए जिन्हें संविधान के भाग ix द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(पैरा 10.180)

56. स्थानीय निकाय पहचान की गयी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर विचार करें

(पैरा 10.79)

57. शहरी स्थानीय निकायों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान का भाग उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अग्नि सेवाओं में सुधार हेतु किया जाए।

(पैरा 10.172)

58. स्थानीय निकायों को शहरी नियोजन कार्यों से सहयोजित किया जाए, जहां कहीं अन्य विकास प्राधिकारी इस कार्य के लिए अधिदेशित हैं। इन प्राधिकारियों को स्थानीय निकायों के साथ अपने राजस्व का भी वहन करना चाहिए।

(पैरा 10.168)

59. छावनी क्षेत्रों (बलों के सक्रिय नियंत्रण के अन्तर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) के अन्तर्गत सिविलियन क्षेत्रों हेतु विकास योजनाएं जिला नियोजन समितियों के समक्ष लायी जाएं।

(पैरा 10.169)

60. राज्य सरकारें नगर पंचायतों के गठन हेतु दिशानिर्देश तैयार करें।

(पैरा 10.133)

## आपदा राहत

61. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि और आपदा राहत निधि (सीआरएफ) को सम्बद्ध राज्यों के राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) में मिला दिया जाए। एसडीआरएफ के लिए अंशदान का वहन सामान्य श्रेणी के राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों के सम्बन्ध में 90:10 के अनुपात में किया जाए।

(पैरा 11.78, 11.79 और 11.82)

62. सीआरएफ और एनसीसीएफ के अन्तर्गत 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार शेष राशि का अन्तरण सम्बद्ध एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को किया जाए।

(पैरा 11.78 तथा 11.93)

63. एनडीआरएफ के लिए बजटीय प्रावधान को निधि से पिछले वर्ष के व्यय से सम्बद्ध किए जाने की आवश्यकता है। जीएसटी के प्रारम्भ होने पर उपकरों को उसमें मिलाने से; वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है।

(पैरा 11.78)

64. एसडीआर का कुल आकार 33.381 करोड़ आंका गया है जिसे क्षमता निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान के साथ उपर्युक्त दिए गए अनुपात में वहन किया जाएगा।

(पैरा 11.92 और 11.102)

65. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को त्वरित राहत हेतु अपेक्षित मदों के स्टॉक को बनाए रखने के लिए 250 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।

(पैरा 11.103)

66. आपदा प्रबन्धन (डीएम) अधिनियम में जिला आपदा अनुक्रिया निधि (डीडीआरएफ) से सम्बद्ध प्रावधानों की समीक्षा की जाए और इन निधियों के सृजन को सम्बद्ध राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(पैरा 11.83)

67. एफसी अनुदानों के जरिए निधिपोषित योजनाओं को शमन और पुनर्निर्माण गतिविधियों से बाहर रखा जाए और केन्द्र तथा राज्यों की समग्र विकास आयोजना निधि की पूर्ति की जाए।

(पैरा 11.83)

68. एफसी अनुदानों के जरिए निधिपोषित योजनाओं के तहत कवर की जाने वाली आपदाओं की सूची यथावत बनी रहनी चाहिए। तथापि, एनडीआरएफ निधिपोषण के लिए उच्च तीव्रता की मानव निर्मित आपदाओं को ध्यान में रखा जाए, एक बार मानदण्ड तय कर दिए जाएं और अपेक्षित अतिरिक्त आबंटन एनडीआरएफ को किया जाए।

(पैरा 11.100)

69. डीएम अधिनियम अर्थात् केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)/राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्धन एजेंसी (एसडीएमए)/राज्य कार्यकारी परिषद (एसईसी) के अन्तर्गत निर्धारित किए जाने वाले आपदा राहत के लिए प्रशासनिक तंत्र। वित्तीय मामले वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदा प्रक्रिया अनुसार निपटाए जाएंगे।

(पैरा 11.105 तथा 106)

70. एससीआरएफ के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखने हेतु निर्धारित लेखांकन मानदण्डों का अनुसरण किया जाए।

(पैरा 11.95)

## राज्यों को सहायता अनुदान
## एनपीआरडी और निष्पादन प्रोत्साहन

71. आठ राज्यों हेतु पंचाट अवधि के लिए 51,800 करोड़ रुपए की कुल आयोजना-भिन्न राजस्व अनुदान की सिफारिश की गयी है।

(पैरा 12.12)

72. ऐसे तीन विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए के निष्पादन अनुदान की सिफारिश की जाती है जिन्हें आयोजना- भिन्न राजस्व घाटा (एनपीआरडी) स्थिति से क्रमबद्ध किया गया है।

(पैरा 12.13)

## प्राथमिक शिक्षा

73. पंचाट अवधि हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए 24,068 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है।

(पैरा 12.23)

74. शिक्षा अनुदान प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य व्यय के अतिरिक्त होगा। संस्तुत अनुदानों सहित प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यय (आयोजना + आयोजना-भिन्न) अर्थात् मुख्य शीर्ष - 2202, उप मुख्य शीर्ष - 01, वर्ष 2010-15 के दौरान कम से कम 8 प्रतिशत की दर पर पड़ेगा।

(पैरा 12.23)

## पर्यावरण

75. पंचाट अवधि हेतु वन अनुदान के रूप में 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की गयी है।

(पैरा 12.46)

76. पहले दो वर्षों के लिए अनुदानें शर्त रहित हैं लेकिन कार्य आयोजनाओं की तैयारी को प्राथमिकता दी जाए। पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदानों की निर्मुक्ति को अनुमोदित कार्य आयोजनाओं की संख्या में प्रगति से सम्बद्ध किया जाए।

(पैरा 12.47)

77. पिछले तीन वर्षों में अनुदानों का पच्चीस प्रतिशत भाग वन संपदा के संरक्षण के लिए है। ये अनुदान वानिकी तथा वन्य जीव (मूख्य शीर्ष-2406) सम्बन्धी आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के अतिरिक्त है और अनुबंध 12.3 में दी गयी शर्तों के अधीन होगा। पिछले तीन वर्षों में अनुदानों के पचहत्तर प्रतिशत का उपयोग विकास उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

(पैरा 12.47)

78. ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 5000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश की जाती है जो 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता परिवर्धन में राज्यों की उपलब्धियों पर आधारित है। इस सम्बन्ध में राज्यों के निष्पादन की राज्यों द्वारा क्षमता परिवर्धन पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 12.52 तथा 12.53)

79. चार वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2014-15 की पंचाट अवधि हेतु जल क्षेत्र प्रबन्धन अनुदान के तौर पर 5000 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गयी है।

(पैरा 12.57)

80. जल क्षेत्र अनुदान की निर्मुक्ति जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और सामान्य रूप से मूल्यांकित जल प्रभारों की राज्य विशिष्ट वसूली प्राप्त करने के अधीन होगी।

(पैरा 15.58)

81. जल क्षेत्र अनुदान सामान्य अनुरक्षण व्यय के लिए अतिरिक्त राशि के बतौर होने चाहिए जिन्हें राज्यों द्वारा देखा जाएगा और अनुबंध 12.8 में दी गयी शर्तों के अनुसार उन्हें निर्मुक्त तथा मॉनीटर किया जाएगा।

(पैरा 12.58)

## परिणामों में सुधार

82. राज्यों को अपने ऐसे निवासियों का नामांकन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जो विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेते हैं। उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 2987 करोड़ रुपए का अनुदान देना प्रस्तावित है जैसा अनुबंध 12.9 में दर्शित हैं।

(पैरा 12.70)

83. राज्यों को 31 दिसम्बर, 2009 से आगे उनके निष्पादन के आधार पर अपनी शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ 5000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है।

(पैरा 12.75)

84. न्याय प्रशासन में कई पहलुओं में सुधार को सहायता प्रदान करने हेतु 5000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। इनमें प्रातः/सायं न्यायालयों का प्रचालन, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को प्रोत्साहन देना, लोक अदालतों की सहायता बढ़ाना तथा विधिक सहायता और प्रशिक्षण देना शामिल है।

(पैरा 12.79)

85. राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं में नवाचारों की पहचान दस्तावेज तथा प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिक नवाचार प्रणाली केन्द्र (सीआईपीएस) की स्थापना द्वारा नवाचार प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। 1 करोड़ रुपए प्रति जिले का दूसरी अनुदान जिला नवाचार निधि (डीआईएफ) के सृजन के लिए है जिसका उद्देश्य पहले से सृजित पूंजी परिसम्पत्तियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

(पैरा 12.92 और 12.96)

86. सांख्यिकीय प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु, हम भारतीय सांख्यिकीय परियोजना (आईएसपी) द्वारा पहचान न किए गए क्षेत्रों में सांख्यिकीय ढांचागत अन्तर की पूर्ति हेतु प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए भी दर पर राज्य सरकारों को 616 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

(पैरा 12.101)

87. कर्मचारी तथा पेंशनर डाटाबेस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रत्येक सामान्य श्रेणी राज्य और 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य को उपलब्ध कराया जाएगा। हम भारत सरकार से यह भी आग्रह करते हैं कि वह अपने स्वयं के कर्मचारियों तथा पेंशनरों हेतु डाटाबेस तैयार करने के लिए समानान्तर प्रयास प्रारम्भ करे।

(पैरा 12.108)

## सड़कों तथा पुलों का रख-रखाव

88. हमारे पंचाट अवधि के चार वर्षों (2011-12 से 2014-15) के लिए सड़कों तथा पुलों के रखरखाव हेतु अनुदान के रूप में 19,930 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की गयी है।

(पैरा 12.114)

89. सड़कों तथा पुलों के लिए रख-रखाव अनुदान उस सामान्य रख-रखाव व्यय के अतिरिक्त होगा जो राज्यों द्वारा किया जाता है। इस अनुदान की निर्मुक्ति तथा व्यय अनुबंध 12.17 में दर्शित शर्तों के अधीन होगा।

(पैरा 12.114)

## राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं

90. राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए 27,945 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश की जाती है।

(पैरा 12.6)

91. पैरा 5.52 तथा 9.82 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त राज्य विशिष्ट अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(i) राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु किसी राज्य विशिष्ट अनुदान से किसी निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी परियोजना/निर्माण हेतु भूमि अपेक्षित है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) सारणी 12.6 में दिए गए राज्य विशिष्ट अनुदानों की स्थिति केवल निर्देशात्मक है; राज्य अपनी अपेक्षित स्थिति से केन्द्र सरकार को सूचित कर सकते हैं। यह अनुदान प्रतिवर्ष अधिकतम दो किश्तों में जारी की जा सकती है।

(iii) लेखों का रखरखाव तथा उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी/व्यय विवरण (एसओई) को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

(पैरा 12.324)

## मॉनीटरिंग

92. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग समिति अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करेगी सुधारात्मक उपाय करेगी। इसे 12 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थापित किया गया है जो आगे बनी रहेगी।

(पैरा 12.326)

93. पंचाट अवधि हेतु राज्यों को संस्तुत कुल सहायता अनुदान राशि- सारणी 1.2 में दी गयी है।

**सारणी 1.2 : राज्यों को सहायता अनुदान**

**करोड़ रुपए**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | स्थानीय निकाय | | 87519 |
| II | आपदा राहत (जिसमें क्षमता निर्माण शामिल है) | | 26373 |
| III | पश्च-अन्तरण आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा | | 51800 |
| IV | निष्पादन प्रोत्साहन | | 1500 |
| V | प्राथमिक शिक्षा | | 24068 |
| VI | पर्यावरण | | 15000 |
| | (क) वनों का संरक्षण | 5000 | |
| | (ख) नवीकरणीय ऊर्जा | 5000 | |
| | (ग) जल क्षेत्र प्रबंधन | 5000 | |
| VII | परिणामों में सुधार | | 14446 |
| | (क) शिशु मृत्यु दर में कमी | 5000 | |
| | (ख) न्याय प्रदान करने में सुधार | 5000 | |
| | (ग) यूआईडी जारी करने हेतु प्रोत्साहन | 2989 | |
| | (घ) जिला नवाचार निधि | 616 | |
| | (ड.) राज्य तथा जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार | 616 | |
| | (च) कर्मचारी तथा पेंशन डाटाबेस | 225 | |
| VIII | सड़क तथा पुलों का रख-रखाव | | 19930 |
| IX | राज्य विशिष्ट | | 27945 |
| X | जीएसटी मॉडल का कार्यान्वयन | | 50000 |
| | **जोड़** | | **318581** |

**विजय एल. केलकर**
अध्यक्ष

**बी.के. चतुर्वेदी**
सदस्य

**इन्दिरा राजारमन**
सदस्य

**अतुल शर्मा**
सदस्य

**संजीव मिश्रा**
सदस्य

नई दिल्ली
29 दिसम्बर, 2009

मैं आयोग के सभी सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्कृष्ट सहयोग के प्रति अपनी असीम सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट संयुक्त प्रयास से तैयार की गयी जिसमें प्रत्येक सदस्य ने अपने गहन ज्ञान और ठोस व्यावसायिक वचनबद्धता के साथ असीमित रूप से सहयोग प्रदान किया। मैं आयोग के सचिव श्री सुमित बोस द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के प्रति आयोग की सराहना को भी ध्यान में लाना चाहता हूं, वह इस आयोग के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक रहे हैं। आयोग उनकी उच्च कार्यक्षमता तथा शानदार कार्य हेतु उनके प्रति अत्यधिक आभारी हैं। वह प्रतिभा सम्पन्न व्यावसायिक दल के उत्कृष्ट अगुआ रहे हैं जिन्होनें आयोग की सहायता की।

नई दिल्ली
29 दिसम्बर, 2009

**विजय एल. केलकर**
अध्यक्ष